संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

क्रमांक / प्रशिक्षण / 2022 / 126   भोपाल, दिनांकः 05/03/2022

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र.।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।

विषयः– शैक्षणिक प्रवेश सत्र 2023 के लिए भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एन.बी.ई. पी.जी. डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु संबद्धता प्राप्त करने हेतु अनुमति बावत्।

संदर्भः– आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) की सूचना दिनांक 07.02.2022

विषयांतर्गत लेख है कि भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राजपत्र सूचना दिनांक 06.08.2020 द्वारा एम.बी.बी.एस. पश्चात् पी.जी. डिप्लोमा हेतु National Board of Examination के 02 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु निम्न विशिष्ट विधाओं को मान्यता प्रदान की गई हैः–

S.No.	Specialty	S.No.	Specialty
1	Anaesthesia	5	Ophthalmology
2	Obstetrics & Gynaecology	6	ENT
3	Paediatrics	7	Radio Diagnosis
4	Family Medicine	8	Tuberculosis & Chest Disease

तदानुसार प्रदेश में स्नातकोत्तर चिकित्सकों की उपलब्धता एवं गुणवत्तापूर्ण अध्ययन सुनिश्चित करने हेतु National Board of Examination, MoHFW, GoI द्वारा संचालित Post MBBS Post Graduate Diploma Courses का संचालन 100 बिस्तरीय जिला चिकित्सालयों / सिविल अस्पतालों में किया जाना है। शैक्षणिक प्रवेश सत्र 2023 के लिए शासकीय अस्पतालों की संबद्धता प्राप्त करने के संबंध में NBEMS द्वारा अधिकारिक वेबसाईट पर सूचना प्रकाशित की गई है।

अवगत हो किः–

1. Post MBBS Post Graduate Diploma Courses के संबद्धता हेतु महत्वपूर्ण तिथियां निम्नानुसार हैः–

आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा करने की आरंभ तिथि	08.02.2022
आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि	30.04.2022
एन.बी.ई.एम.एस. कार्यालय में आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि	31.05.2022

2. पाठ्यक्रम हेतु आवेदनकर्ता चिकित्सालयों के पास निम्नलिखित प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य हैः–
   1. **Certificate of Registration of the hospital under applicable Acts and Rules.**
   2. **Pollution Control Board Certificate/Certificate issued by State Government to the agency which is authorized for Biomedical Waste Management for the applicant hospital.**
   3. **Valid Fire Safety Certificate from State Fire Department.**
   4. **Building Complex Occupancy Certificate.**
   5. **AERB approval for operations of Medical Diagnostic Equipment (X-rays, CT scan, MRI, PET Scan, Linear Accelerator etc.)**
   6. **Other regulatory approvals which may be specific to the specialty applied for seeking accreditation.**

3. उक्त पाठ्यक्रम हेतु आवेदनकर्ता शासकीय चिकित्सालयों में आवेदक विशिष्ट विधा हेतु 01 वरिष्ठ सलाहकार अथवा 02 कनिष्ठ सलाहकार होना अनिवार्य है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता एवं स्नातकोत्तर कार्य अनुभव निम्नानुसार हो:–

SN	Type of Faculty	No. of Faculties	Education Qualification	Post PG Experience
1.	Senior Consultant	1	MD/MS/DNB	Min. 5 years
2.	Junior Consultant	2	MD/MS/DNB	Min. 2 years

4. पाठ्यक्रम हेतु प्रत्यायन शुल्क (Accreditation Fees) प्रति विधा कुल राशि रू. 2,39,150/– होगी, जिसकी पूर्व अनुमति संचालनालय से प्राप्त की जाना होगी।
5. उक्त पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य जानकारी हेतु एन.बी.ई. का सूचना बुलेटिन पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है।
6. **आवेदन उपरान्त राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) द्वारा शासकीय अस्पताल के बुनियादी ढांचे, सुविधाओं, संकाय, रोगी भार (Patient Load) तथा अन्य संबंधित जानकारी हेतु अस्पताल का भौतिक मूल्यांकन/निरीक्षण किया जाएगा जिसकी सूचना आवेदक अस्पताल को मूल्यांकन दिनांक से 1–2 दिन पहले ही दिया जावेगा।**
7. **अतः, अपने अधीनस्थ 100 बिस्तरीय शासकीय चिकित्सालय जो उपरोक्त सभी मापदण्ड पूर्ण करते हों, का आंकलन कर निम्न प्रपत्र में जानकारी दिनांक 10 मार्च 2022 तक ई–मेल dr.pragyatiwari@mp.gov.in एवं training.dhsmp@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें:–**

Name of Hospital	Type of Facility (DH/CH)	Broad Specialty for which accreditation is being sought	IPD No. in Specialty	OPD No. in Specialty	Name of Faculty	
					Senior Consultant	Junior Consultant(s)
						1
						2

संलग्नः राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड का सूचना बुलेटिन।

(डॉ. सुदाम खाडे)
आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांकः /03/2022

पृ.क्र./प्रशिक्षण/2022/
प्रतिलिपिः–कृपया सूचनार्थ प्रेषित –
1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन, म.प्र.।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
3. संचालक, वित्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
4. संचालक, क्वालिटी एश्योरेन्स, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
5. मुख्य अभियन्ता, सिविल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र.।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र.।

आयुक्त सह सचिव स्वास्थ्य
मध्यप्रदेश